

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014

जयपुर, दिनांक - 12.4.17

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 दिनांक 23.12.2015 के बिन्दु संख्या 1 को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत विकासकर्ता से भूमि छुडवाये जाने की एवज में राशि लिया जाना प्रस्तावित है तो विकासकर्ता से ली जाने वाली राशि की गणना आवासीय आरक्षित दर पर तथा जिन क्षेत्रों में आवासीय आरक्षित दर निर्धारित नहीं है, उस स्थिति में राशि की गणना वर्तमान डी.एल.सी. दर के आधार पर की जावे।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

ACTP (E) / STP (R)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

A-7P / 21/4/17
Raksh

Copy to all
19/4/17


राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: टीपीआर 1000:17 / प्रोजेक्ट्स / एवीएल / 277-38 दिनांक: 20/11/17

निर्देशानुसार प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, मुख्य नगर नियोजक, एन.सी.आर., जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) / (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन / प्रोजेक्ट्स / मुख्यालय / जेड.एस.पी. / अजमेर / बीकानेर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
4. उप नगर नियोजक, अलवर / भरतपुर।

भवदीय,


20/11/17

(अनुज कुमार फागणा)

सहायक नगर नियोजक (प्रोजेक्ट्स),
राजस्थान, जयपुर।